प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9/4/26	वकील वादी उप०। संसोधित शिविल पेश। फिर पत्रावली बहस अन्तिम हेतु दिनांक 16-4-26 को पत्रावली पेश हो। [signature]
[illegible]	
16-4-26	वकील वादी उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21/4/26 को पेश हो। [signature]
21/4/26	[illegible] पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान [illegible] अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। [illegible] कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 23/4/26 को पेश हो। [signature]
23/4/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। न्यायालय सुनाया गया। निर्णय केस नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उक्त निर्णय की एक प्रति नियमानुसार समेकित वाद के साथ संलग्न हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश R.A.S

तारीख दायरा
23.09.2010

तारीख फैसला
23.04.2026

मिसल नं0
206/दावा/2010

1. हेमराज आयु बालिग
2. मोहन लाल आयु बालिग पिता लाला जाति मीणा नि0 सेन्दड़ी तह0 एवं जिला बून्दी।
3. शंभूलाल आयु बालिग पि0 लाला जाति मीणा नि0 सेन्दड़ी तह0 तालेड़ा जर्ये कायम मुकामान
   3/1. कमलेश मीणा विधवा शंभूलाल
   3/2. टीना मीणा
   3/3. रिंकू कुमारी
   3/4. ओमीषा मीणा
   3/5. विशाल मीणा आ0 शंभूलाल मीणा नि0 सेन्दड़ी तह0 तालेड़ा जिला बून्दी राज0
4. राममूर्ती आयु बालिग पुत्री लाला जाति मीणा नि0 ग्राम सेंदड़ी तह0 सेदड़ी तह0 तालेड़ा जिला बून्दी
5. नरेश आ0 कालू जाति मीणा नि0 सेदड़ी तह0 तालेड़ा जिला बून्दी
6. नन्दकंवरी बेवा कालू जाति मीणा नि0 सेंदड़ी तह0 तालेड़ा जिला बून्दी

वादीगण

बनाम

1. दीनदयाल आ0 लट्टूर जाति मीणा नि0 सेंदड़ी तह0 तालेड़ा जिला बून्दी
2. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब बून्दी राज0
3. प्रभूलाल आ0 रामनारायण जाति मीणा नि0 सेदड़ी तह0 तालेड़ा जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

समेकित वाद
प्रभुलाल आ0 रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम सेंदड़ी तह0 तालेड़ा जिला बून्दी

वादी

बनाम

1. हेमराज आ0 लाल जाति मीणा नि0 सेंदड़ी हाल नि0 देहित तह0 तालेड़ा जिला बून्दी
2. मोहन लाल आयु बालिग पिता लाला जाति मीणा नि0 सेन्दड़ी तह0 एवं जिला बून्दी
3. शंभूलाल आयु बालिग पि0 लाला जाति मीणा नि0 सेन्दड़ी तह0 तालेड़ा जर्ये कायम मुकामान
   3/1. कमलेश मीणा विधवा शंभूलाल
   3/2. टीना मीणा
   3/3. रिंकू कुमारी
   3/4. ओमीषा मीणा
   3/5. विशाल मीणा आ0 शंभूलाल मीणा नि0 सेन्दड़ी तह0 तालेड़ा जिला बून्दी राज0
4. राममूर्ती आयु बालिग पुत्री लाला जाति मीणा नि0 ग्राम सेंदड़ी तह0 सेदड़ी तह0 तालेड़ा जिला बून्दी
5. खानी बेवा लाला जाति मीणा निवासी ग्राम सेंदड़ी तह0 तालेड़ा एवं जिला बून्दी (पूर्ववर्ती वाद में विलोपित)
6. नरेश आ0 श्री कालू आयु 22 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदड़ी तहसील एवं जिला बून्दी
7. नन्दकंवरी बेवा श्री कालू आयु 37 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदड़ी तहसील एवं जिला बून्दी (पूर्ववर्ती वाद में विलोपित)
8. दीनदयाल आ0 श्री लट्टूर आयु 39 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदड़ी तहसील एवं जिला बून्दी
9. जगदीश आ0 श्री लट्टूर आयु 33 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदड़ी तहसील एवं जिला बून्दी
10. दिनेश आ0 श्री लट्टूर आयु 36 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदड़ी तहसील एवं जिला बून्दी
11. छोटी बेवा लट्टूर आयु 62 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदड़ी तहसील एवं जिला बून्दी
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, बून्दी

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादी:- श्री राजकुमार गौतम
अधिवक्ता प्रतिवादी:- श्री हिम्मत सिंह

— : : निर्णय : : —

(वाद रहन मुक्त करवाने बाबत)

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वास्ते रहन मुक्त करवाने बाबत के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के स्वामित्व व अधिकार एवं कब्जे की भूमि खसरा संख्या 209 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 591 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम सेन्दडी तहसील व जिला बून्दी में विस्थित है। वाद पत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित भूमि पर राजस्व रेकार्ड में मोत्या बैवा नन्दा जाति मीणा के नाम मु0बिक राहिन अंकित है। जो कि करीब पिछले 40-50 वर्षो से चला आ रहा है। मोत्याबाई बैवा नन्दा जाति मीणा का देहान्त हो चुका है और उसके बाद उसका एकमात्र पुत्र का भी देहान्त हो चुका है, अब वर्तमान में केवल दीनदयाल जो कि प्रतिवादी सं. 1 है, जो मोत्याबाई का पोता है जीवित है, उसके अलावा मोत्याबाई का वर्तमान में कोई भी वारिस जीवित नही है। वादीगण को राजस्व रेकार्ड में अंकित रहन मु0बि0क0 हटवाने की आवश्यकता है, क्योकि जब तक इस पर से रहन नही हट जाता वादीगण किसी प्रकार का कृषि ऋण या अन्य प्रकार के ऋण कृषि विकास हेतु उक्त भूमि पर नही ले पाते और रूपयो पैसो के अभाव में वादीगण की भूमि पडत ही रह जाती है, इसलिये न्यायहित में रहन हटाया जाना आवश्यक है। दिनांक 28.07.2010 को प्रतिवादी सं0 1 अपने साथ कुछ व्यक्तियों को साथ लाया और वादीगण को धमकी देकर गया कि इस बार भूमि को मे ही जोतुगा, तुम लोग इस जमीन पर पेर भी मत रखना, यदि उक्त भूमि पर तुमने पेर भी रखा तो तुम्हारे टुकडे-टुकडे करके उसी खेत में बिखेर दूंगा और उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाउगा। यही वाद कारण है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह राजस्व रिकार्ड में अंकित रहन मु0बि0क0 को हटवाये और सम्पूर्ण भूमि रहन मुक्त करवाये। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर से राजस्व रेकार्ड में अंकित रहन मु0बि0क0 मोत्याबाई बैवा नन्दा मीणा का नाम हटाये जाने का आदेश फरमावें तथा उक्त भूमि को रहन मुक्त किये जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वादी के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार सरकार ने जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादग्रस्त आराजी पर राहिन आरएलडीसी कोटा दर्ज है। प्रकरण में मु.बि.क. के संबंध में किसी प्रकार का घोषणा पत्र संलग्न नही है वादीगण के द्वारा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 80 जा0 दी0 का नोटिस प्रतिवादी संख्या 2 को बनाने से पूर्व दिया जाना आवश्यक है इसके अभाव मे दावा पोषनीय नही है। वाद पत्र में रहन संबंधीत विवरण स्पष्ट नही है।

प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वाद में पृथक से पक्षकार बन जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में केवल दीनदयाल जो की प्रतिवादी संख्या 1 है मोत्या बाई का पोता जीवित बताया जबकि मोत्याबाई के 2 पोते जीवित है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 है। वाद पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। इस कारण वादीगण का मुबिक हटाये जाने बाबत समस्त विधिक अधिकार काल वर्जित होने से समाप्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में वाद वादी खारिज योग्य है। वादीगण द्वारा वाद पत्र मिथ्या कथनो एवं तथ्यो को छुपाकर पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 प्रभुलाल का एवं उसके पूर्वजो का वर्षो पहले से ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जमाबन्दी सम्वत 2001 से 2005 में मु0 मोत्या बेवा नन्दा कौम मीणा सा.देह मुबिक अंकित है। सरवण वल्द शंकर कोम मीणा खातेदार के समय भी वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 3 की दादी मोत्या बेवा नन्दा के रहन अंकित थी, तब भी भूमि कब्जे में प्रतिवादी संख्या 3 के पूर्वजो के थी जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 राजस्व रेकार्ड में ग्राम सेंदडी में भी भूमि प्रतिवादी संख्या 3 की दादी के कब्जे में रहकर रहन थी। जिसकी फोटो प्रति संलग्न सम्वत 2050 से 2053 में भी भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजो के काश्त व रहन दर्ज थी। तत्पश्चात से भूमि प्रतिवादीगण संख्या 3 जो मोत्या बेवा नन्दा कोम मीणा का पोता है निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही है।

वाद पत्र एवं जवाब वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1. आया वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि की मुर्तःहिन बिल कब्जा मोत्या बेवा नन्दा के एक मात्र पोत्र दीनदयाल है जो प्रतिवादी क्रम 1 है। – वादी
2. आया विवादित भूमि के वादीगण खातेदार एवं काबिज है। – वादी

आया विवादित भूमि रिकार्ड मे रहन दर्ज होने से वादीगण कृषि ऋण एवं कृषि विकास हेतु ऋण नही ले पाते है, इस कारण रहन का इन्द्राज हटवाने का वादीगण को अधिकार है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वादीगण को अधिकार है। - वादी

4. आया स्व0 मोत्याबाई के दो पौते जीवित है जो प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 है। - प्रतिवादी 3

5. आया विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रम 3 काबिज है जिसका पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चले आने से स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का प्रतिवादी क्रम 3 को अधिकार है। - प्रतिवादी 3

6. अनुतोष।

वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में मोहन लाल वादी क्रम 2 का शपथ पत्र पेश कर प्रमाणित प्रति सम्वत 2066-69 खाता संख्या 155 प्रदर्श-1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श-2, एवं खसरा गिरदावरी प्रदर्श-3 पेश कर अंकित किया कि विवादित जमीन पर हम काबिज काश्त है। दोराने जिरह कहा कि प्रतिवादी प्रभूलाल, मोत्याबाई का कुछ भी नही लगता। प्रभूलाल का भूमि पर कब्जा नही है। मुबिक कब से दर्ज है इस बात की मुझे जानकारी नही है। वादीगण की ओर से साक्ष्य में स्वतंत्र गवाह सत्यनारायण का शपथ पत्र पेश किया। दोराने जिरह कहा कि मै वादीगण के परिवार से ही हूँ। उक्त दावा रहन से संबंधित है। रहन चडा हुआ खेत 2 बीघा है जिसके एवं मेरे खेत के बीच में नहर है। मोत्याबाई प्रभुलाल की दादी हो सकती है मुझे पता नही है। प्रभुलाल उक्त विवादित रहनशुदा भूमि के पास अपने पशु बांधता था।

प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दोराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि है। जिस पर मोत्या बेवा नन्दा कोम मीणा का नाम बहेसियत मुबिक दर्ज रिकार्ड है। मोत्या की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी 1 दीनदयाल मोत्या का पोत्र है जिसने मुबिक हटाये जाने बाबत वाद में लिखित स्वीकृती दी है। प्रतिवादी 3 प्रभुलाल स्वयं को मोत्या का दूसरा पोत्र बताता है जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा वाद में पक्षकार बनाया गया। प्रभुलाल द्वारा एक अन्य वाद पेश कर वादग्रस्त आराजी पर खुद को खातेदार घोषित करवाने हेतु पृथक से एक वाद पेश किया गया। जो पश्चातवर्ती वाद होने से इसी वाद के साथ समेकित है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि पर है जिस पर मोत्या का नाम मुबिक के रूप में दर्ज रिकार्ड है जो वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का हक अधिकार नही रखता। अतः वादग्रस्त आराजी से मुबिक मोत्या का नोट विलोपित किया जावे।

वकील प्रतिवादी ने दोराने बहस जवाब वादपत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये अपनी बहस समाप्त की।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद पत्र में कायम तनकीयो का बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार है।

1. **आया वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि की मुर्तःहिब बिल कब्जा मोत्या बेवा नन्दा के एक मात्र पोत्र दीनदयाल है जो प्रतिवादी क्रम 1 है।**
इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह अंकित किया है कि मोत्या के एक मात्र पोत्र दीनदयाल है। जबकि प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा स्वयं को भी मोत्या का पोत्र होना बताया है जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश अनुसार स्वीकार कर प्रभुलाल को मोत्या का जायज वारिस मानते हुये पक्षकार बनाया गया। जिसकी पुष्टि समेकित वाद में संलग्न नामान्तरण संख्या 81 वाके ग्राम सेदडी में अंकित नोट से होती है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध प्रमाणित की जाती है।

2. **आया विवादित भूमि के वादीगण खातेदार एवं काबिज है।**
इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वाद पत्र में पेश नकल जमाबन्दी प्रदर्श-1 से वाद वर्णित आराजी के खातेदार वादीगण होना प्रमाणित है किन्तु वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त कौन है इस बाबत स्थिति स्पष्ट हेतु वादीगण की और से कोई प्रमाणित दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नही किया गया ना ही कब्जे की स्थिति साक्ष्य से प्रमाणित होती है। अतः यह तनकी वादीगण के खातेदार होने तक वादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

3. **आया विवादित भूमि रिकार्ड मे रहन दर्ज होने से वादीगण कृषि ऋण एवं कृषि विकास हेतु ऋण नही ले पाते है, इस कारण रहन का इन्द्राज हटवाने का वादीगण को अधिकार है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वादीगण को अधिकार है।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण खातेदारी अधिकार रखते है किन्तु वादग्रस्त आराजी पूर्व से ही मोत्या के नाम मुबिक दर्ज रिकार्ड है जिसके संबंध में वादी द्वारा कोई दस्तावेज जो वादग्रस्त आराजी से रहन को विलोपित किये जाने हेतु समुचित कारण प्रमाणित करता हो पेश नही किया है। रहन कब एवं किन शर्तो के मध्यनजर दर्ज रिकार्ड किया गया इस बाबत भी कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नही किया। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा बाबत स्थिति भी अस्पष्ट है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श-1 का अवलोकन करने पर वादग्रस्त आराजी पर राहिन मोत्या बेवा नन्दा व राहिन आरएलडीसी कोद्य दर्ज रिकार्ड है। कब्जा की स्थिति स्पष्ट नही होने से स्थाई निषेद्याज्ञा का अधिकार वादीगण को नही है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

4. **आया स्व0 मोत्याबाई के दो पौते जीवित है जो प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 है।**
इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी 3 पर था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 की निगरानी संख्या 8896 में पारित निर्णय एवं समेकित वाद में पेश नामान्तरण संख्या 81 वाके ग्राम सेदडी में अंकित नोट से मोत्या के वारिस लटूर व प्रभुलाल होना प्रमाणित है जो कि प्रतिवादी 1 के पिता व स्वयं प्रभुलाल प्रतिवादी 3 है। अतः यह तनकी प्रतिवादी 3 के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

5. **आया विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रम 3 काबिज है जिसका पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चले आने से स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का प्रतिवादी क्रम 3 को अधिकार है।**
इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी 3 पर था। प्रतिवादी 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब में वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना अंकित किया है। किन्तु उक्त कथनो के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया है जो प्रतिवादी 3 के निर्बाध कब्जा काश्त को प्रमाणित करता हो साथ ही वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी 3 की दादी मोत्या बेवा नन्दा बहेसियत मुबिक दर्ज है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार नही है। अतः यह तनकी साक्ष्य दस्तावेज के अभाव में प्रतिवादी 3 के विरूद्ध प्रमाणित की जाती है।

6. **अनुतोष-** पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने, बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं वाद पत्र में कायम तनकियो का बिन्दूवार विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त साक्ष्य दस्तावेज के अभाव में प्रमाणित नही है ना ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहन मोत्या का विवरण यथा उक्त रहन कब दर्ज हुआ किन शर्तो पर दर्ज हुआ की स्थिति स्पष्ट करने में वादीगण असफल रहे है। ऐसी स्थिति में जब रहन का स्टेटस एवं कब्जा काश्त का स्टेटस अस्पष्ट है तो रहन का नोट विलोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। समेकित वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट के माध्यम से प्रतिवादी सं. 3 कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु चाराजोही की है किन्तु प्रतिवादी क्रम 3 वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु विधिक अधिकारो को प्रमाणित करने में असफल रहने से वादी हेमराज को वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। वाद संख्या 206/दावा/2001 हेमराज बनाम दीनदयाल वास्ते रहन मुक्त करने बाबत एवं वाद प्रभुलाल बनाम हेमराज वास्ते अधिकार घोषणा बाबत साक्ष्य दस्तावेजो के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किये जाते है। उक्त निर्णय की एक प्रति समेकित वाद के साथ संलग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास मनस्वी नरेश , आर0ए0एस0

1. हेमराज आयु बालिग
2. मोहन लाल आयु बालिग पिता लाला जाति मीणा नि0 सेन्दडी तह0 एवं जिला बून्दी।
3. शंभूलाल आयु बालिग पि0 लाला जाति मीणा नि0 सेन्दडी तह0 तालेडा जर्ये कायम मुकामान
   3/1. कमलेश मीणा विधवा शंभूलाल
   3/2. टीना मीणा
   3/3. रिंकू कुमारी
   3/4. ओमीषा मीणा
   3/5. विशाल मीणा आ0 शंभूलाल मीणा नि0 सेन्दडी तह0 तालेडा जिला बून्दी राज0
4. राममूर्ती आयु बालिग पुत्री लाला जाति मीणा नि0 ग्राम सेंदडी तह0 सेदडी तह0 तालेडा जिला बून्दी
5. नरेश आ0 कालू जाति मीणा नि0 सेदडी तह0 तालेडा जिला बून्दी
6. नन्दकंवरी बेवा कालू जाति मीणा नि0 सेंदडी तह0 तालेडा जिला बून्दी

वादीगण

बनाम

1. दीनदयाल आ0 लटूर जाति मीणा नि0 सेंदडी तह0 तालेडा जिला बून्दी
2. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब बून्दी राज0
3. प्रभूलाल आ0 रामनारायण जाति मीणा नि0 सेदडी तह0 तालेडा जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

समेकित वाद
प्रभुलाल आ0 रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम सेंदडी तह0 तालेडा जिला बून्दी

वादी

बनाम

1. हेमराज आ0 लाल जाति मीणा नि0 सेंदडी हाल नि0 देहित तह0 तालेडा जिला बून्दी
2. मोहन लाल आयु बालिग पिता लाला जाति मीणा नि0 सेन्दडी तह0 एवं जिला बून्दी
3. शंभूलाल आयु बालिग पि0 लाला जाति मीणा नि0 सेन्दडी तह0 तालेडा जर्ये कायम मुकामान
   3/1. कमलेश मीणा विधवा शंभूलाल
   3/2. टीना मीणा
   3/3. रिंकू कुमारी
   3/4. ओमीषा मीणा
   3/5. विशाल मीणा आ0 शंभूलाल मीणा नि0 सेन्दडी तह0 तालेडा जिला बून्दी राज0
4. राममूर्ती आयु बालिग पुत्री लाला जाति मीणा नि0 ग्राम सेंदडी तह0 सेदडी तह0 तालेडा जिला बून्दी
5. खानी बेवा लाला जाति मीणा निवासी ग्राम सेंदडी तह0 तालेडा एवं जिला बून्दी (पूर्ववर्ती वाद में विलोपित)
6. नरेश आ0 श्री कालू आयु 22 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील एवं जिला बून्दी
7. नन्दकंवरी बैवा श्री कालू आयु 37 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील एवं जिला बून्दी (पूर्ववर्ती वाद में विलोपित)
8. दीनदयाल आ0 श्री लटूर आयु 39 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील एवं जिला बून्दी
9. जगदीश आ0 श्री लटूर आयु 33 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील एवं जिला बून्दी
10. दिनेश आ0 श्री लटूर आयु 36 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील एवं जिला बून्दी
11. छोटी बेवा लटूर आयु 62 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील एवं जिला बून्दी
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, बून्दी

प्रतिवादीगण

वाद रहन मुक्त करवाने बाबत

210/दावा/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री राजकुमार गौतम एडवोकेट मिनजानिब मुदई हिम्मत सिंह मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद संख्या 206/दावा/2001 हेमराज बनाम दीनदयाल वास्ते रहन मुक्त करने बाबत एवं वाद प्रभुलाल बनाम हेमराज वास्ते अधिकार घोषणा बाबत साक्ष्य दस्तावेजो के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

नीज............................ मुबलिक................................ बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व [illegible]........................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुदायलाह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा				स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात				स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत				महबताबा वकील		
महबताबा वकील				खर्चा गवाहाब		
खर्चा गवाहाब				फीस कमिश्बर		
फीस कमिश्बर				बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा				हुक्मनामा		
मुतफरिक				मुतफरिक		
मीजाब						

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 23 माह 04 वर्ष 2026 को जारी की गई।

मोहर

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा